GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./ Part file/ 751

Dated: 10/06/2011

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 146 dated 13.04.2011, **Shri Kuldeep Singh, DANICS** has joined as **Sub-Divisional Magistrate (Kalkaji), District South** on 15.04.2011 and in pursuance of Services Department's order No. 86 dated 08.03.2011. **Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS** has joined as Sub-Divisional Magistrate (Civil Lines), District North on 01.04.2011. Now, therefore,

- 1. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS, the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 2. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(ii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 3. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 4. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iv)- In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier
- 5. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(V)-In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 6. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vi)-In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS as Settlement Officer(Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 7. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vii)-In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize (1) Shri Kuldeep Singh, DANICS (2) Sh. Ashish Kumar, Adhoc DANICS to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

(Kuldeep Singh Gangar)

Addl. Secretary (Revenue)

Dated: 10 \ 06 \ 2011

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./ Part file/ ついて

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette
- 2. The Deputy Commissioner, District South/North, New Delhi.
- 3. Officer concerned through Deputy Commissioner, District South/North, New Delhi.
- 4. The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.
- 5. P.S. to Pr. Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
- 6. Guard file.

(Rajiv Kumar)

Sub Divisional Magistrate-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार (राजस्व विभाग) 5 , शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ पार्ट फा0/75!

दिनांक : 10 /05/2011

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 146 दिनॉक 13.04.2011 के सन्दर्भ में श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स ने दिनॉक 15.04.2011 को उपमण्डलीय दण्डाधिकारी, (कालकाजी), जिला—दक्षिण तथा सेवा विभाग दिल्ली सरकार के आदेश सं0 86 दिनॉक 08.03.2011 के संदर्भ में श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स ने दिनॉक 01.04.2011 को उपमण्डलीय दण्डाधिकारी, (सिविल लाईन्स), जिला उत्तर का कार्यभार संभाल लिया है। अत:—

- 1 सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू—राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या. 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- 2. सं०. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू—राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पिठत धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शिक्तयाँ जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- 3. सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./(iii) दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की घारा 76 के साथ पिठत धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शिक्तियाँ जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- 4. सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (Iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को उस समय तक कलैक्टर के रूप में जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।
- 5. सं0. 7/1/99/रा. रथ./स.र./(v) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को उस समय तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शिक्तयां जबतक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- 6. सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./(vi) पूर्वी पंजाब जोत चकबंदी तथा विखंडसन रोकथाम अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) रूप में जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।
- 7. सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./(vii) दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड रा द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये (1) श्री कुलदीप सिंह, दानिक्स (2) श्री आशीष कुमार, तद्र्थ दानिक्स को उस समय तक जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकत केरते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

grand let & The

(कुलदीप सिंह गंगर) अति. सचिव (राजस्व)

सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./पार्ट फा0/7/5/

दिनांक : 10/06/2011

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1- उपसचिव ,सा० प्रा०वि० रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
- 2- उपायुक्त, जिला- दक्षिण/उत्तर दिल्ली ।
- 3- संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला -दक्षिण/उत्तर माध्यम से ।

🕢 प्रणाली विश्लेषक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

- 5- निजी सचिव, सचिव (राजस्व) / मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली, ।
- 6- गार्ड फाइल ।

(राजीव कुमार) उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0--1)